

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

नानीबाई बनाम वंशीलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 278/2024

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती नानीबाई व/० मांगीलाल डोंगी, २तल्लाम -
विला श्री लीला विला मांगीलाल डोंगी

निवासी- वड का अमराणा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर- खाता सन्ख्या 137 में
वड का अमराणा (पण्डा नम्बरी) अर्कित आराजी कीता 05 रकबा 1.03, खाता सं-136 आराजी कीता 02
शुल्क रकबा 0.32, खाता सं-205 आराजी कीता 2 रकबा 0.3201, खाता सं-84 का सं- 359
कुल कीता 5+2+2+1=10 रकबा 1.7101 है 0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम वड का अमराणा (पण्डा नम्बरी तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर खाता सं-137 में अर्कित आराजी कीता 5 रकबा 1.03 है खाता सं-136 में अर्कित
आराजी कीता 2 रकबा 0.32 है, खाता सन्ख्या 205 में अर्कित आराजी कीता 2
रकबा 0.3201, खाता सन्ख्या 84 में अर्कित आराजी सं- 359 रकबा 0.09
कुल कीता 5+2+2+1=10 रकबा 1.7101 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रुपये अक्षरे एक हजार पच्चे (१०००) रुपये
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(बीनू देवल)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)